

15/12/25

पञ्चावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील काही,  
प्रतिवादीगण की तलबी लेते तलाफत प्राप्त होने के  
बिना ही तलबी अथवा ये पञ्चावली इसी तरह  
पर खारिज की जाती है नंबर से जय हो।  
आदेश सुनाया गया।

  
सपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़ (राज.)

GCMS  
2024/369

